

नोटिस दिनांक 20.03.2020

प्रकरणों से संबंधित समस्त पक्षकारगण व सम्माननीय अधिवक्तागण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के द्वारा कोरोना वायरस के फैलाव से निवारण संबंधी जारी की गई एडवायजरी दिनांक 20.03.2020 तथा वीडियो कांफ्रेंसिंग दिनांक 20.03.2020 के पालन में **न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागर** के न्यायालय में दिनांक 21.03.2020 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान मामलों में नियत की गई पेशी निम्नानुसार बढ़ाई गई हैं:-

क्र.	पूर्व से नियत पेशी दिनांक	पूर्व से नियत मामलों की संख्या	बढ़ाई गई अगली पेशी दिनांक
1.	21.03.2020	0 प्रकरण	
2.	23.03.2020	26 प्रकरण	24.07.2020
3.	24.03.2020	47 प्रकरण	27.07.2020
4.	26.03.2020	36 प्रकरण	28.07.2020
5.	27.03.2020	35 प्रकरण	29.07.2020
6.	28.03.2020	11 प्रकरण	30.07.2020
7.	30.03.2020	18 प्रकरण	30.07.2020
8.	31.03.2020	4 प्रकरण	30.07.2020

संबंधित पक्षकारगण/अधिवक्तागण अपने मामलों में अब केवल बढ़ाई गई पेशी तारीख पर ही न्यायालय में उपस्थित होंगे। पूर्व से नियत दिनांक पर न्यायालय में उपस्थित होने की जरूरत नहीं है। उपस्थित न होने के आधार पर पक्षकारगण के विरुद्ध न तो वारण्ट किया जावेगा, न ही एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी। केवल नोटिस बोर्ड पर आगामी तारीख देखकर नोट करने का कष्ट करें।

जेल में निरुद्ध बंदियों के संबंध में नियत प्रकरण एवं जमानत प्रकरण एवं अर्जेंट नेचर के प्रकरणों की सुनवाई न्यायालय द्वारा प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे के बीच ही कार्य दिवस पर जारी रहेगी।

आदेशानुसार

(विवेक कुमार पण्डित)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागर